उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या-91/2026/1555/2026-27-10001(099)/5/2022-10
लखनऊः दिनांकः 19 अगस्त, 2026

शुद्धि-पत्र

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-88/2026/1272/2026-27-10001(099)/5/2022-10, दिनांक 19.08.2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित ''श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (यां0)'' के स्थान पर ''**श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता (यां0)**'' पढ़ा जाए एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-89/2026/1472/2026-27-10001(099)/5/2022-10, दिनांक 19.08.2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित श्री संतलाल प्रसाद की ''जन्मतिथि 06.05.1995'' के स्थान पर **''जन्मतिथि 06.05.1975''** तथा क्रमांक-22 पर अंकित ''श्री जगदीश कुमार भारती'' के स्थान पर ''**श्री जगदीश कुमार**'' पढ़ा जाए।

2- उपर्युक्त शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

इन्द्रजीत सिंह
उप सचिव

संख्या-91/2026/1555(1)/2026-27-10001(099)/5/2022-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यतक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) वित्त नियन्त्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदश, लखनऊ।
(4) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(5) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-9), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा-प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।